भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4116

जिसका उत्तर 19.12.2024 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 744 का विकास

4116. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोल्लम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 744 के विकास कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का विचार है और यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस हेतु गांव विस्तार और उस भूमि की सर्वेक्षण संख्या का ब्यौरा क्या है जिसके अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है;

(घ) संबंधित गांव विस्तार और सर्वेक्षण संख्या का ब्यौरा क्या है जिसके लिए 3a, 3A और 3D अधिसूचनाएं जारी की गई हैं;

(ङ.) क्या राज्य सरकार का भवनों के पुराने होने के आधार पर उनका मुआवजा निर्धारित करने का विचार है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 66 का मुआवजा निर्धारित करने के लिए लागू मानकों के अनुसार मुआवजा निर्धारित करने के अनुरोध पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) भूमि अधिग्रहण संबंधी मुआवजे को अंतिम रूप देने में हुए विलंब को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) केरल राज्य में रारा-744 राजमार्ग के विकास के लिए संरेखण अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन, निर्माण-पूर्व गतिविधियों (भूमि अर्जन के मूल्यांकन सहित) से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सौंप दी गई है। का आवंटन डीपीआर के पूरा होने, वैधानिक मंजूरी मिलने और निर्माण-पूर्व गतिविधियों के बाद सिविल निर्माण कार्य सौंपा जाएगा, जो अनुमानित यातायात, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर होगा।

(ङ) से (छ) भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

*****